रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112023-250227
CG-DL-E-23112023-250227

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4822] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2023/अग्रहायण 2, 1945
No. 4822] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2023/AGRAHAYANA 2, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2023

सं. 45/2023

विषयः– प्याज के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाना।

का.आ. 5031(अ).—दिनांक 28/10/2023 की अधिसूचना सं. 42/2023 [का. आ. 4719 (अ)] के अधिक्रमण में और विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा सं"ोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 07 में प्याज की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
0703 10 19	किलोग्राम	प्याजः	मुक्त	दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक 800 अमेरिकी डॉलर एफ.ओ.बी. प्रति मीट्रिक टन (एम.टी.) के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम.ई.पी.)के अध्यधीन

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. प्याज की निम्नलिखित खेपों को एमईपी के बिना निर्यात करने की अनुमति दी जाएगीः

i जहां प्याज की खेप 29 अक्तूबर, 2023 (तिथि जब से दिनांक 28/10/2023 की अधिसूचना सं. 42/2023 [का. आ. 4719 (अ)] लागू हुई है) से पहले सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सौपी जा चुकी है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत हो

चुकी है/जहां प्याज की खेप 29 अक्तूबर, 2023 (तिथि जब से दिनांक 28/10/2023 की अधिसूचना सं. 42/2023 [का. आ. 4719 (अ)] लागू हुई है) से पहले निर्यात हेतु सीमा शुल्क स्टे"ान में प्रवे"ा कर चुकी है और इस अधिसूचना के जारी होने से पहले इन वस्तुओं की सीमा शुल्क स्टे"ान में प्रवे"ा करने की तारीख और समय की मुहर सत्यापन योग्य प्रमाण के साथ सीमा शुल्क स्टे"ान के संबंधित अभिरक्षक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है। निर्यात की अवधि दिनांक 30 नवम्बर, 2023 तक होगी।

ii निर्यात शुल्क का इस अधिसूचना के जारी होने से पहले भुगतान कर दिया गया है। ऐसा निर्यात शुल्क रिफंड योग्य नहीं है।

4. इस अधिसूचना का प्रभावः

प्याज का निर्यात 'मुक्त' है। 31 दिसंबर, 2023 तक न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 800 अमेरिकी डॉलर एफओबी प्रति मीट्रिक टन (एमटी) लगाया गया है। दिनांक 28/10/2023 की अधिसूचना सं. 42/2023 [का. आ. 4719 (अ)] का अधिक्रमण किया गया है।

[फा.सं. 01/91/171/50/विविध/एएम21/ई–26586]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2023

No. 45/2023

Subject: - Imposition of Minimum Export Price on export of Onions.

S.O. 5031(E).—In supersession of Notification No.42/2023 dated 28/10/2023 [S.O. 4719(E)] and in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Central Government hereby amends the Export Policy of Onions in Chapter 07 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy, as under:

Tariff item HS Code	Unit	Item description	Export Policy	Policy condition
0703 10 19	KG	Onions:	Free	Subject to a Minimum Export Price (MEP) of US $ 800 F.O.B. per Metric Ton (MT), till 31st December, 2023."

2. The Notification will come into immediate effect.

3. The following consignments of onions will be allowed to be exported without MEP:

i. Where onions consignment has been handed over to the Customs before 29th October, 2023 (the date from which the Notification No.42/2023 dated 28/10/2023 [S.O. 4719(E)] came into effect) and is registered in their system / where onions consignment has entered the Customs station for exportation before this Notification and is registered in the electronic systems of the concerned Custodian of the Customs Station with verifiable evidence of date and time stamping of these commodities having entered the Customs Station prior to 29th October, 2023 (the date from which the Notification No.42/2023 dated 28/10/2023 [S.O. 4719(E)] came into effect). The period of export shall be upto 30th November, 2023.

ii. Export duty has been paid before the issuance of this Notification. Such export duty is non - refundable.

4. Effect of this Notification:

Export of onions is 'Free'. Minimum Export Price (MEP) of US $ 800 F.O.B per Metric Ton (MT) is imposed till 31st December, 2023. Notification No.42/2023 dated 28/10/2023 [S.O. 4719(E)] is superseded.

[F. No. 01/91/171/50/Misc/AM21/e-26586]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2023.11.23 21:43:21 +05'30'